A2/7

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 46/2017

1. कृष्णलाल पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई निवासी 1 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. भानूप्रताप पुत्री श्री भूप सिंह पुत्र श्री हनुमान जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   1/1 सुनील कुमार पुत्र श्री भानूप्रताप जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   1/2 अनील कुमार पुत्र श्री भानूप्रताप जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   1/3 मैनादेवी पत्नी भूप सिंह–माता भानूप्रताप जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   1/4 इमानती देवी पत्नी भानूप्रताप जाति बिश्नोई निवासी 1 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
   1/5 लक्ष्मीदेवी पुत्री श्री भानूप्रताप पत्नी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री महावीर खीचड़ जाति बिश्नोई निवासी 16 एसएडी सतजण्डा तहसील रायसिंहनगर व जिला श्रीगंगानगर।
   1/6 उर्मिला पुत्री श्री भानूप्रताप पत्नी श्री पवन पुत्र श्री कृष्ण लाल पूनिया निवासी 3 डब्ल्यू के.एस.एम. तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 28.04.2017 किस्म मुकदमा वसीयत नम्बर 20/17 जिसकी रूह से अपीलांट के पिता हनुमान पुत्र श्री सदासुख की कृषि भूमि वाके चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 की 34 बीघा 15 बिस्वा में निस्फ हिस्सा का इंतकाल कथित वसीयत दिनांक 12.01.1996 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराराम करने का आदेश दिया गया को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित :
1. श्री काशीराम रणवां, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री मोहनलाल छाबड़ा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

::आदेश :: दिनांक :–19.04.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता हनुमान पुत्र सदासुख के नाम से चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 में 4.306 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। अपीलांट के पिता हनुमान का देहान्त दिनांक 29.09.2005 को हो गया था उनके वारिसान में अपीलांट उनका सबसे बड़ा पुत्र है। अपीलांट के अलावा उनके पुत्र भूप सिंह, बनवारीलाल, बंशीलाल व पुत्री कलावती वारिसान है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र सलंग्न अपील है। स्व. हनुमान की मृत्यु होने पर उनके नाम की चक 1 डी छोटी साधुवाली की 4.306 हैक्टर भूमि का

विरासतन इंतकाल दर्ज होना था और इस इंतकाल की कार्यवाही में श्री हनुमान के तमाम वारिसान को सूचना दी जाकर और उनका पक्ष सुनने के उपरान्त ही उनकी भूमि के विरासतन जाने के बारे में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाना कानूनन व इन्साफन आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने यहां इस सम्बन्ध में लम्बित प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया न अपीलांट को इस कार्यवाही का कोई नोटिस किसी प्रकार का दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के यहां लम्बित कार्यवाही की अपीलांट को जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने अपीलांट से पोशिदा तौर पर कार्यवाही करते हुए श्री हनुमान के नाम की कथित वसीयत का हवाला देते हुए भूमि राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम अमल दरामद करने का आदेश देने में सख्त गलती की है। आदेश सहज न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में हनुमान के पुत्र बनवारी लाल, बंशीलाल, पुत्री कलावती के उपस्थित आने व उन द्वारा हलफनामा देने का हवाला दिया है। इन सबकी पूर्व में हकरसी हो चुकी थी इसलिए इन द्वारा आपत्ति नहीं करने से वसीयत सही नहीं होती और अपीलांट को नोटिस न देने का कोई आधार नहीं बनता था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट जो हनुमान का सबसे बड़ा पुत्र है, पर तामील के बारे में या उसे पक्षकार बनाये जाने व सुनवाई का अवसर दिये जाने व अपीलांट से आपत्ति मांगने के सम्बन्ध में अपने आदेश में कोई हवाला नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर रेस्पोडेन्टस के साथ मिलकर अपीलांट के हितों के विरूद्व जो आदेश दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 में 4.306 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान पुत्र सदासुख की मानी है। हनुमान ने अपनी इस भूमि के बारे में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की थी और हनुमान के तमाम वारिसान को विरासतन जानी थी और हनुमान के कुल वारिसान में चार पुत्र व एक पुत्री होने से अपीलांट का इस भूमि में पांचवा हिस्सा था। आदेश जेर अपील से हनुमान की कुल भूमि कथित वसीयत का आधार बनाते हुए रेस्पोडेन्ट को देने से अपीलांट को अपनी भूमि से वंचित कर दिया गया है। अपीलांट के पिता ने कोई वसीयत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में नहीं की थी और अपीलांट के पिता को गुमराह करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने सगे मौसेरे भाई सतपाल व अपने मित्र ओम प्रकाश से साजिश कर बन्द वसीयत लिखवाने की कोई कार्यवाही कर दी है तो इससे कूटरचित वसीयत सही नहीं हो सकती है। इस वसीयत के सम्बन्ध में अपीलांट को आपत्ति का अवसर दिया जाता तो अपीलांट तमाम साक्ष्य प्रस्तुत कर देता। चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 की हनुमान के नाम की कुल भूमि हनुमान को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई थी और हनुमान को यह सम्पति विरासतन प्राप्त हुई थी। इस सम्पति के अलावा भी अन्य भूमियां भी पैतृक सम्पति के रूप में थी। हनुमान ने अपनी कुल पैतृक सम्पति का विभाजन जरिये रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 22.04.1972 को कर दिया था और हनुमान ने चक 1 छोटी में मुरब्बा नम्बर 54 में केवल किला नम्बर 16,17 सालम, 18 में 8 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 3 की 1 बीघा कुल 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि ही अपने पास रखी थी व शेष भूमि अन्य को दे दी थी। इससे हनुमान के पास चक 1 डी छोटी में 4.306 हैक्टर भूमि थी ही नहीं और जो वसीयत की गयी है वह बिना अधिकार बनाई गयी है। पैतृक सम्पति की वसीयत करने का भी कोई अधिकार श्री हनुमान को नहीं था। ऐसी सूरत में 4.306 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम करने का जो आदेश दिया है वह अधिकार विहीन व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.04.2017 निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता हनुमान पुत्र सदासुख के नाम से चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 में 4.306 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। अपीलांट के पिता

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

हनुमान का देहान्त दिनांक 29.09.2005 को हो गया था। स्व. हनुमान की मृत्यु होने पर उनके नाम की चक 1 डी छोटी साधुवाली की 4.306 हैक्टर भूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज होना था। इंतकाल की कार्यवाही में हनुमान के तमाम वारिसान को सूचना दी जाकर और उनका पक्ष सुनने के उपरान्त ही उनकी भूमि के विरासतन जाने के बारे में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाना कानूनन व इन्साफन आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने यहां इस सम्बन्ध में लम्बित प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया न अपीलांट को इस कार्यवाही का कोई नोटिस किसी प्रकार का दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के यहां लम्बित कार्यवाही की अपीलांट को जानकारी नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट जो हनुमान का सबसे बडा पुत्र है, पर तामील के बारे में या उसे पक्षकार बनाये जाने व सुनवाई का अवसर दिये जाने व अपीलांट से आपत्ति मांगने के सम्बन्ध में अपने आदेश में कोई हवाला नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर रेस्पोडेन्टस के साथ मिलकर अपीलांट के हितों के विरूद्व जो आदेश दिया है। चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 की हनुमान के नाम की कुल भूमि हनुमान को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई थी और हनुमान को यह सम्पति विरासतन प्राप्त हुई थी। इस सम्पति के अलावा भी अन्य भूमियां भी पैतृक सम्पति के रूप में थी। हनुमान ने अपनी कुल पैतृक सम्पति का विभाजन जरिये रजिस्टर्ड बंटवारानामा दिनांक 22.04.1972 को कर दिया था और हनुमान ने चक 1 छोटी में मुरब्बा नम्बर 54 में केवल किला नम्बर 16,17 सालम, 18 में 8 विस्वा व मुरब्बा नम्बर 55 के किला नम्बर 3 की 1 बीघा कुल 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि ही अपने पास रखी थी व शेष भूमि अन्य को दे दी थी। इससे हनुमान के पास चक 1 डी छोटी में 4.306 हैक्टर भूमि थी ही नहीं और जो वसीयत की गयी है वह बिना अधिकार बनाई गयी है। पैतृक सम्पति की वसीयत करने का भी कोई अधिकार श्री हनुमान को नहीं था। ऐसी सूरत में 4.306 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम करने का जो आदेश दिया है वह अधिकार विहीन व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.04.2017 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्ननुसार नजरे पेश की :–

1. आर.आर.डी. फरवरी 2002 पेज– 65–66
2. आर.आर.डी. 2012 पेज– 420–422
3. आर.आर.डी. 1996 पेज– 454–455
4. आर.आर.डी. जून 2002 पेज– 338–340

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रजिस्टर्ड वसीयत को महज नियत समय अवधि में केवल सिविल कोर्ट (दीवानी न्यायालय) में ही चुनौती दी जा सकती है। कानूनी प्रावधानों के तहत जहां पंजीकृत वसीयत विद्यमान हो वहां विरास्त का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत को निरस्त न कर दिया जावें। इसलिए वसीयत को निरस्त कराये बिना राजस्व न्यायालय में वाद पोषनीय नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्ननुसार नजरे पेश की :–

1 आर.आर.टी. 2001(1) पेज– 271–275
2. आर.आर.टी. 2018(2) पेज– 848–858
3 2006(ii) सीसीसी पेज–403

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपील के उभय पक्षो की ओर से बहस में जाहिर किये गए तथ्यों से यह अपील मृतक खातेदार हनुमान पुत्र श्री सदासुख की वाके चक 1 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 54,55,58 की 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वर्णित की गई है। वास्तव में तथ्य यह है कि उभयपक्ष के पिता द्वारा दिनांक 22.04.1972 को बंटवारानामा से अपनी भूमि का बंटवारा अपने पुत्रों में कर दिया गया था। जिसकी पुष्टि अभिलेख पर उपलब्ध बंटवारानमा से होती है। यह तथ्य निर्विवादित भी है क्योंकि इस पर उभयपक्ष की संस्वीकृति है। अपीलार्थी का यह कथन कि उक्त वसीयत के पक्ष में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2017 में उनको सुना नहीं गया

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

सत्य नही है क्योंकि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 2512 दिनांक 31.03.2017 द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गई जिसका प्रकाशन अखबार सीमा सन्देश दिनांक 10.04.2017 को किया गया है। मृत्तक हनुमान द्वारा बंटवारानामा से अपनी भूमि का बंटवारा अपने पुत्रों में 22.04.1972 को किया जाने के उपरान्त अपनी शेष भूमि की वसीयत अपने पोते भानूप्रताप पुत्र भूपसिंह के नाम रजिस्टर्ड वसीयत की गई जिसको अपीलांट द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई। तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.04.2017 वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद का जो आदेश पारित किया गया वो विधि सम्मत् है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2017 बहाल रखा जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर